

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक:—एफ 2(1737)डी.ओ.आईटी./संस्था/13/13229/2013 जयपुर, दिनांक: 12/11/2013

कार्यालय आदेश

प्रायः यह देखा गया है कि नवनियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा अवैतनिक अवकाश (EOL) हेतु साधारण प्रार्थना पत्र द्वारा आवेदन किया जा रहा है जो नियमानुसार नहीं है।


अतः सभी अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में अवैतनिक अवकाश (EOL) हेतु प्रार्थना पत्र नियमानुसार राज. सेवा नियमों के अन्तर्गत अवकाश के लिए निर्धारित आवेदन पत्र के प्रपत्र में पूर्तिकर एवं सेवापुस्तिका के साथ पदस्थापित विभाग से अग्रेषित करवा कर ही सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर में प्रस्तुत करें। अपूर्ण आवेदनों पर विभाग द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

—sd—
(संजय ज. कर्णिक)
कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. समस्त विभागाध्यक्ष।
2. समस्त अधिकारी/कर्मचारी।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।

4. उम्मीदी अधिकारी (वेबसाइट) सूचना प्रौ. और संचार विभाग
जयपुर।


कार्यालयाध्यक्ष

राजस्थान सरकार
राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत अवकाश के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र

1. आवेदक का नाम
2. पद नाम
3. विभाग, कार्यालय और अनुभाग
4. वेतन
5. गृह किराया भत्ता, सवारी भत्ता, या वर्तमान पद पर प्राप्त अन्य क्षतिपूर्ति भत्ता
6. आवेदित अवकाश का प्रकार और उसकी अवधि तथा दिनांक जिससे उसकी आवश्यकता है
7. रविवार तथा छुट्टियां यदि कोई हों, जिन्हें अवकाश के पहले या बाद में जोड़ने का प्रस्ताव हो
8. अवकाश के लिए आवेदन देने के कारण (यदि वह मुख्यालय के बाहर जाने का विचार रखता हो तो विभिन्न स्थानों का पूरा पता, जहां उनके जाने की सम्भावना हो)
9. गत अवकाश से लौटने का दिनांक तथा उस अवकाश का प्रकार तथा अवधि
10. (क) मैं, रियायती अन्तर्वर्तित (कम्प्यूटेड अवकाश) के दौरान प्राप्त किया गया अवकाश-वेतन और अर्द्ध-वेतन अवकाश जो उस दशा में जबकि राजस्थान सर्विस रूल्स के नियम 93 के उप-नियम (ग) के खण्ड (3) के नीचे दिये गये परन्तुक के प्रावधान, उक्त अवकाश की समाप्ति पर अथवा उसके दौरान, सर्विस से मेरे रिटायर होने की स्थिति में प्रयुक्त नहीं किये गये होते, अनुमत नहीं होता..... की अवधि में अनुमत वेतन की अन्तर राशि वापस अदा करने का वचन देता हूँ।
(ख) मैं, "अवकाश अनोपार्जित" जो कि उस दशा में जबकि राजस्थान सर्विस रूल्स के नियम 93 (ग), उक्त अवकाश की समाप्ति पर अथवा उसके दौरान, सर्विस से मेरे स्वेच्छानुगत रिटायर होने की स्थिति में प्रयुक्त नहीं किया गया होता, अनुमत नहीं होता, की अवधि में प्राप्त किये गये अवकाश-वेतन को वापस अदा करने का वचन देता हूँ।

11. अवकाश का पता :-

आवेदक के हस्ताक्षर (दिनांक सहित)
पद नाम

12. नियंत्रण अधिकारी की अभ्युक्ति और/या सिफारिश

हस्ताक्षर (दिनांक सहित)
पद नाम

अवकाश अनुमत होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र
(राजपत्रित अधिकारियों के मामले में महालेखापाल द्वारा)

13. प्रमाणित किया जाता है किनियमों के नियम..... के अधीन

(अवकाश का प्रकार)

दिनांक से तक का अनुमत है।
(अवधि)

हस्ताक्षर (दिनांक सहित)
पद नाम

14. अवकाश की स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी की आज्ञा।

हस्ताक्षर (दिनांक सहित)
पद नाम

यदि आवेदक क्षतिपूर्ति भत्ता प्राप्त कर रहा हो तो अवकाश की स्वीकृति देने वाले पदाधिकारी को लिखना चाहिये कि वह अवकाश की समाप्ति पर उसी पद पर या ऐसे पद पर जहां ऐसा ही अनुमत हो, कार्य करेगा।